

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्राथी

बनाम

विप्राथीगण

1. खेगाराम पुत्र रामाराम 2. मूलाराम पुत्र
मालाराम जाति-जाट, निवासी-कड़वासरों की
ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर

- 1 उदाराम पुत्र खेताराम 2. मांगीलाल पुत्र पांचाराम 3. पनाराम पुत्र पांचाराम 4. रावताराम पुत्र पांचाराम 5. भीखाराम पुत्र बगताराम 6. रावताराम पुत्र ईशाराम 7. अमेदाराम पुत्र लक्षाराम 8. मुकनाराम पुत्र लक्षाराम 9. छगनाराम पुत्र लक्षाराम जाति मेघवाल, निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) 10. मालाराम पुत्र सुरताराम 11. खेताराम पुत्र सुरताराम 12. बाबूराम पुत्र सुरताराम 13. तेजाराम पुत्र सुरताराम 14. खेताराम पुत्र प्रहलादराम 15. भीखाराम पुत्र प्रहलादराम 16. भीयाराम पुत्र बगताराम 17. जेठाराम पुत्र ताराराम 18. सवाईराम पुत्र ताराराम 19. राणाराम पुत्र ताराराम 20. सरूपाराम पुत्र ताराराम 21. जसाराम पुत्र ताराराम 22. कमला पत्नि ताराराम 23. विस्वाराम पुत्र भगाराम 24. नारणाराम पुत्र भगाराम 25. भूराराम पुत्र भगाराम 26. राणाराम पुत्र भगाराम 27. चूनाराम पुत्र कानाराम 28. किस्तुराराम पुत्र कानाराम 29. खेताराम पुत्र कानाराम जाति दर्जी, निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) 30. मुकनाराम पुत्र गोगाराम 31. हीरो पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-231/2021 दिनांक-06.04.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा कड़वासरों की ढाणी पटवार हल्का खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 370/190 रकबा 34.02 बीघा, 368/259 रकबा 51.16 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्राथी व विप्राथीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगट्टी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जाये। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्राथी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर
दिनांक- 06/04/2022



क्रमांक: सीडर/2022/ 204-209
प्रतिनिधि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना रादर को भेजकर लेख है कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे आवश्यक पुलिस ईमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
3. पटवारी खुडासा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्राथी खेगाराम पुत्र रामाराम 2. मूलाराम पुत्र मालाराम जाति-जाट, निवासी-कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर
5. विप्राथी उदाराम पुत्र खेताराम 2. मांगीलाल पुत्र पांचाराम 3. पनाराम पुत्र पांचाराम 4. रावताराम पुत्र पांचाराम 6. भीखाराम पुत्र बगताराम 6. रावताराम पुत्र ईशाराम 7. अमेदाराम पुत्र लक्षाराम 8. मुकनाराम पुत्र लक्षाराम 9. छगनाराम पुत्र लक्षाराम जाति मेघवाल, निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) 10. मालाराम पुत्र सुरताराम 11. खेताराम पुत्र सुरताराम 12. बाबूराम पुत्र सुरताराम 13. तेजाराम पुत्र सुरताराम 14. खेताराम पुत्र प्रहलादराम 15. भीखाराम पुत्र प्रहलादराम 16. भीयाराम पुत्र बगताराम 17. जेठाराम पुत्र ताराराम 18. सवाईराम पुत्र ताराराम 19. राणाराम पुत्र ताराराम 20. सरूपाराम पुत्र ताराराम 21. जसाराम पुत्र ताराराम 22. कमला पत्नि ताराराम 23. विस्वाराम पुत्र भगाराम 24. नारणाराम पुत्र भगाराम 25. भूराराम पुत्र भगाराम 26. राणाराम पुत्र भगाराम 27. चूनाराम पुत्र कानाराम 28. किस्तुराराम पुत्र कानाराम 29. खेताराम पुत्र कानाराम जाति दर्जी, निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) 30. मुकनाराम पुत्र गोगाराम 31. हीरो पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी कड़वासरों की ढाणी (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर